तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
22/1/19	वकुलाय उप०। वकील अपी॰नं॰2 ने संशोधित शीर्षक पेश किया, जो शामिल मि॰ हो। बहस हेतु पत्रावली दि. 29/1/2019 को पेश हो। अति॰ जिला कलेक्टर, पाली	
29/1/19	पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 30/1/2019 को पेश हो।	
30/1/19	वकुलाय उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 20/02/2019 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
20/2/2019	वकुलाय उपस्थित। बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह रहा कि जैर अपील विवादित आराज में से गोपाराम के हिस्से की भूमि उसके वारिशान द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में हकतर्क की जा चुकी थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये गोपाराम के वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराने का निवेदन किया। रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गोराराम, कुताराम व गोपाराम के फौत होने के आधार पर दायर किया गया है। गोपाराम के वारिशान द्वारा अपने हिस्से की आराजी दिनांक 03.04.1995 को अपीलाण्ट संख्या 1 व अपीलाण्ट संख्या 2 से 5 के पति व पिता कुताराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क किया है। इस अनुसार जैर अपील विवादित आराजी में गोपाराम के वारिशान का हिस्सा शेष नहीं रहता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित करने से पूर्व इसकी जांच ही नहीं की गई हैं। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश विधि सम्मत नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम सोजत चक II के नामान्तरकरण संख्या 2390 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित	

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकृति आदेश दिनांक 29.03.2010 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 03.04.1995 के अनुसार जांच कर विधि अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली अति० जिला कलेक्टर, पाली	